तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **हिम्मत सिंह गहलोत** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, दक्षिण)** सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353482985390228	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/25	अपीलार्थी हिम्मत सिंह गहलोत निवासी सुलिया बाग चोखा बाइपास रोड, चौपासनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 27.08.2025 को दिनांक 22.07.2025 को ईमेल आईडी– 6himmatsingh@gmail.com द्वारा के माध्यम से आप एसडीएम (दक्षिण) जोधपुर की ईमेल आईडी– sdmjodhpur.south@rajasthan.gov.in पर राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत सक्षम न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण राजस्व मूल प्रार्थना पत्र संख्या 01/2025 को दर्ज कराने एवं अग्रिम कार्यवाही कर अवैध निर्माण हटाने के संबंध में शिकायत भेजी गई थी उस पर एसडीएम जोधपुर (दक्षिण) द्वारा क्या कार्यवाही की गई उसका सम्पूर्ण विवरण दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, दक्षिण) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, दक्षिण) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, दक्षिण) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, दक्षिण) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर	

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.[illegible] [illegible]0:43:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17721744